RCMS 2015/0005

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 8/2015 (मुत0 प्रा0 पत्र)

उनवान

हरिराम पुत्र उदा जाति मेघवाल निवासी पाडलिया
तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री इस्हाक मोहम्मद (अभिभाषक अपीलाण्ट)

प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 04.07.2000 के अनुसार बकाया किश्त मय ब्याज जमा करवाने बाबत

निर्णय दिनांक : 11.10.2019

1. पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 23.02.2011 से अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.05.2010 को निरस्त कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2000 की पालना करते हुए करने का आदेश के साथ प्राप्त हुई ।

2. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद मे आराजी ख0 नं0 408/1 व खसरा नं0 408/2 की रकबा क्रमशः 10 बिस्वा व 1 बीधा 04 बिस्वा कुल 1 बीधा 14 बिस्वा आराजी प्रार्थी नं दिनांक 12.11.69 को क्रय की थी । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.2.79 के द्वारा यह मानते हुए कि नोटिस दिये जाने के बावजूद भी आवंटी प्रार्थी ने बकाया रकम जमा नही करवाई तथा आवंटन निरस्त कर दिया जिस पर आवंटी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिस पर माननीय राजस्व मण्डी ने दिनांक 04.07.2000 द्वारा यह आदेश पारित किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 22.03.96 एवं अतिरिक्त जिलाधीश कोलोनाईजेशन कोटा का आदेश दिनांक 22.09.1979 निरस्त किया जाकर प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर कालोनाईजेशन कोटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दिया कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे तथा उक्त भूमि पर काबिज है या नही की भी जांच करें फिर प्रस्तुत प्रकरण मे अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है । अतः माननीय मण्डल के आदेश दिनांक 04.07.2000 की अनुपालना मे पत्रावली तलब कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.05.2010 के द्वारा प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही होना मानते हुए उक्त आवंटन निरस्त कर दिया।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 23.02.2011 से अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया है कि वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2000 की पालना करते हुए निर्णय पारित करें वादग्रस्त आराजी पर यदि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो उसे अतिक्रमी

होने से किसी प्रकार के कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त होते है का भी ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है, कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.07.2000 के अनुसार बकाया किश्त मय ब्याज एवं शास्ति के जमा करने का आदेश दिया गया था तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार का निर्णय पारित किया है । लेकिन तहसीलदार दीगोद एवं सक्षम कार्यालय प्रार्थी की उक्त राशि जमा करवाने को तत्पर नही है । नही प्रार्थी को जमा करवाई जाने वाली राशि बताई जा रही है । इस संबंध में प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार दीगोद को इस संबंध मे प्रार्थना पत्र पेश किया है । लेकिन तहसीलदार दीगोद मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के अनुसार राशि जमा करने को तत्पर नही है । जबकि प्रार्थी उक्त आराजी की राशि मय ब्याज व शास्ति के जमा करवाने का तत्पर है । अतः प्रार्थी की उक्त राशि जमा करवाई राशि की गणना करने का तहसीलदार दीगोद को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुऐ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2018 को प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाने की प्रार्थना पर तहसीलदार दीगोद के पत्र क्रमांक ( ) भू. अभि0 / तह0 / 2018 / 2208 दिनांक 27.06.2018 से पटवारी हल्का मूण्डला की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2018 मे तथ्य अंकित किये कि सेटलमेन्ट पूर्व ख0 नं0 408 रकबा 10 बिस्वा व ख0 नं0 408 मि रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थे । बाद सेटलमेन्ट गत ख0 नं0 408 मि रकबा 10 बिस्वा का वर्तमान ख0 नं0 357 रकबा 0.12 है व ख0 नं0 408 मि रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा का वर्तमान ख0 नं0 358 रकबा 0.18 है0 बने है बाद केचमेन्ट मुता0 फर्द इख्तलाफ केचमेन्ट ब्लाक ढगारिया वर्ष 1997–98 ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद के ख0 नं0 357 रकबा 0.12है0 व ख0 नं0 358 रकबा 0.18 है के नया ख0 नं0 712 रकबा 0.12 है बने है, वर्तमान मे ख0 नं. 712 रकबा 0.12 है0 मुताबिक जमा0 सं0 2071–2074 के सिवायचक खाता सरकार दर्ज रेकार्ड है । जिस पर धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी रणजीतसिंह पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिक्ख सा0 पाडलिया के नाम से जेरकार है ।

4. वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.07.2000 के अनुसार बकाया किश्त मय ब्याज एवं शास्ति के जमा करने का आदेश दिया गया था तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार का निर्णय पारित किया है । लेकिन तहसीलदार दीगोद एवं सक्षम कार्यालय प्रार्थी की उक्त राशि जमा करवाने को तत्पर नही है । नही प्रार्थी को जमा करवाई जाने वाली राशि बताई जा रही है । इस संबंध में प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार दीगोद को इस संबंध मे प्रार्थना पत्र पेश किया है । लेकिन तहसीलदार दीगोद मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के अनुसार राशि जमा करने को तत्पर नही है । जबकि प्रार्थी उक्त आराजी की राशि मय ब्याज व शास्ति के जमा करवाने का तत्पर है । अतः प्रार्थी की उक्त राशि जमा करवाई राशि की गणना करने का तहसीलदार दीगोद को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया । वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 961–963 व 2015 डीएनजे (एससी) पेज 219–225 प्रस्तुत की है ।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 20.05.2010 के अनुसार रणजीत सिंह बहेसियत अतिक्रमी काबिज है । प्रार्थी द्वारा राशि जमा नही कराने

कब्जा काश्त नही होने तथाः आवंटन शर्तो की पालना नही होना पाये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी ख0 नं. 408/1 रकबा 10 बिस्वा व 408/2 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा वाके ग्राम पाडलिया का प्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया था। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 23.02.2011 से अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार कर अतिक्रमी को विवादित आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नही होना व किसी प्रकार का स्वत्व प्राप्त नही होना व बेदखल करने का अधिकारी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया है कि वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2000 की पालना करते हुए निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल राज0 के निर्णय दिनांक 04.07.2000 के क्रम मे तहसीलदार दीगोद से प्राप्त की गई रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है । उक्त भूमि पर रणजीतसिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह का अतिक्रमी की हेसियत से कब्जा काश्त है । उसे भूमि का आवंटन होना साबित नही होने से वह विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का अधिकारी है । उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटन किये जाने के संबंध मे कोई रिपोर्ट उपलब्ध होना नही पायी जाती है । आवंटन नियमों के अनुसार प्रथम 2 वर्षो मे आवंटी को आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है । परन्तु आवंटन पत्रावली से स्पष्ट है कि भूमि का आवंटन दिनांक 12.11.69 को किया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 10.07.70 को कब्जा संभलाया गया । तत्पश्चात प्रार्थी को आवंटन राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.77 को नायब तहसीलदार न्यायालय मे बयान दिया कि भूमि ऊसर होने के कारण कृषि योग्य नही होने के कारण लेना नही चाहता । अतः नीलामी निरस्त की जाए । उक्त आधार पर उसका आवंटन निरस्त किया गया । विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण मे लागू नही होते है । अब प्रार्थी बकाया किश्त जमा कराने को तैयार है । परन्तु चूंकि विवादित भूमि पर उसका कब्जा नही रहा । अतः उसके द्वारा आवंटन नियमों की पालना करना साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर किए गये अन्य व्यक्ति के अतिक्रमण को नियमानुसार कार्यवाही कर एक माह मे हटाया जावे ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8, निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा